भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3021

सोमवार, 20 मार्च, 2023 / 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के लाभार्थी

3021. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री रणजितसिंह नाईक निम्बालकर:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं, रेहड़ी-पटरी वालों, चालकों, नलसाजों, दर्जियों, मध्याह्न भोजन कर्मियों, रिक्शा चालकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, खेतिहर मजदूर, मोची, धोबी, चमड़े के कामगार को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) आरम्भ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं और नियम और शर्तें क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में राज्य-वार असंगठित क्षेत्र के कुल कितने मजदूरों को शामिल किया गया है;

(ग) पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लाभर्थियों की संख्या और पंजीकरण का बिहार के गोपालगंज जिले और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आरम्भ होने के बाद से पीएम-एसवाईएम योजना के लिए आबंटित, जारी और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का योजना के अंतर्गत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत मृतकों के बच्चों को परिवार पेंशन का लाभ देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार ने फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभारंभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू सहायकों, रेहड़ी-पटरी वालों, ड्राइवरों, नलसाज़ों, दर्जी, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, रिक्शा चालकों, निर्माण कामगारों, कूड़ा बीनने वालों, बीड़ी निर्माताओं, हथकरघा कामगारों, खेतिहर कामगारों, मोची, धोबी, चमड़े का काम करने वाले कामगारों सहित अन्य कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया था। यह सह-अंशदायी पेंशन योजना है और अंशदान का भुगतान लाभार्थी की आयु

के आधार पर 55/- रुपये से 200/- रुपये के बीच है और भारत सरकार द्वारा समान मात्रा में अंशदान का भुगतान किया जाता है। एलआईसी ऑफ इंडिया (भारतीय जीवन बीमा निगम) निधि प्रबंधक है। इस योजना में पंजीकरण करने के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:

i) 15000/- रुपये या इससे कम मासिक आय अर्जित करने वाला असंगठित कामगार हो।
ii) ईपीएफ, एनपीएस और किसी अन्य सरकारी वित्त-पोषित पेंशन का अभिदाता न हो।
iii) प्रवेश की आयु 18-40 वर्ष के बीच हो।

(ख) और (ग): बिहार के गोपालगंज जिले के साथ-साथ झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में अब तक उक्त योजना में शामिल किए गए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की राज्य-वार कुल संख्या अनुबंध-I के अनुसार है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित व्यापक पहुंच हेतु योजना को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र लाभार्थियों को जुटाने के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप आरंभ करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां आबंटित की गई हैं। इसके बाद ई-श्रम लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, ई-श्रम के तहत पंजीकृत पात्र ग्राहकों को एसएमएस भेजे गए हैं, जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। नियोक्ता को पीएम-एसवाईएम के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डोनेट-ए-पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया गया है।

(घ): पीएम-एसवाईएम योजना संबंधी आवंटित, जारी और व्यय निधियों का ब्यौरा अनुबंध-II के अनुसार है।

(ङ): उक्त योजना के तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की राशि बढ़ाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(च): जी नहीं।

**

*****

अनुबंध-I

श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रणजितसिंह नाईक निम्बालकर, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, श्री देवजी पटेल, श्री दिलीप शइकीया, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री कृष्णपालसिंह यादव, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्री सुनील बाबूराव मेंढे, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा "पीएम-एसवाईएम योजना के लाभार्थी" के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3021 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**पंजीकरण**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2339
2.	आंध्र प्रदेश	170271
3.	अरुणाचल प्रदेश	2870
4.	असम	38090
5.	बिहार	216623
6.	चंडीगढ़	5174
7.	छत्तीसगढ	229418
8.	दिल्ली	10255
9.	गोवा	2027
10.	गुजरात	387331
11.	हरियाणा	917130
12.	हिमाचल प्रदेश	47556
13.	जम्मू और कश्मीर	74231
14.	झारखंड	135782
15.	कर्नाटक	130500
16.	केरल	15480
17.	लद्दाख	1473
18.	लक्षद्वीप	21
19.	मध्य प्रदेश	177697
20.	महाराष्ट्र	614177
21	मणिपुर	5716
22.	मेघालय	5379
23	मिजोरम	1148
24.	नागालैंड	4947
25.	ओडिशा	184091
26.	पुदुचेरी	2383
27.	पंजाब	58479
28.	राजस्थान	305832
29.	सिक्किम	308
30.	तमिलनाडु	65817
31.	तेलंगाना	48751
32.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	1627
33.	त्रिपुरा	31671
34.	उत्तर प्रदेश	888247
35.	उत्तराखंड	38783
36.	पश्चिम बंगाल	106599
	कुल	**4928223**
	बिहार का गोपालगंज जिला	**6551**

अनुबंध-II

श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रणजितसिंह नाईक निम्बालकर, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, श्री देवजी पटेल, श्री दिलीप शइकीया, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री कृष्णपालसिंह यादव, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्री सुनील बाबूराव मेंढे, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा "पीएम-एसवाईएम योजना के लाभार्थी" के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3021 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2018-19	50	49.49
2019-20	500	359.95
2020-21	500	319.71
2021-22	400	324.23
2022-23	350	लगभग 193.00 (01.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

*****